

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ २/१५ /2024

दिनांक : 11.09.2024

श्रीमती शालिनी महर्षि (RJ00485), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भीलवाड़ा को दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 एवं 28.09.2024 से 29.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती महर्षि की अनुपस्थिति में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भीलवाड़ा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
10.9.24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/35/2005/ 7139

दिनांक : 11.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन रायिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 4444 दिनांक 04.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती शालिनी महर्षि (RJ00485), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भीलवाड़ा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), भीलवाड़ा।
5. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भीलवाड़ा।

10/9/2024
सहायक रजिस्ट्रार